कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 3174 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 19/05/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबास रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ ROAD/67275/2021।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0 08B/UCP/06/119/2021/FC/843 दिनांक 19.09.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ने बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉक 6451/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 08 – मई, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No-FP/UK/ROA/67275/2021)।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/119/2021/एफ0सी0/843 दिनांक 19.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है–

क्र. सं.	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	बिन्दु संख्या–03 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 3–4 .मीटर चौड़ाई पर कच्चे मार्ग की स्थिति के सन्दर्भ में अवगत किया है कि इस मार्ग हेतु एफ.सी.ए. 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं ली गई है। अतः राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि यदि यह कच्चा मार्ग 1980 से पूर्व में ही निर्मित है तो इसे पुष्ट करने हेतु SoI Toposheet की इंगित प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रभाग अन्तर्गत संधारित रिकॉर्ड के अनुसार विषयक मोटर मार्ग में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। रिकॉर्ड में उल्लेखित विवरण के अनुसार भारत सरकार के पत्रांक 8बी/09/711/94/एफ0सी0सी/1429 दिनांक 09.11.1995 तथा उ0प्र0 शासन का पत्रांक जी0आई0 405/14–2–95–600(48)/1994 दिनांक 03.01.1996 द्वारा **रांथी तक हल्के वाहन मार्ग** नाम से **3.75 है0** सिविल भूमि की स्वीकृति प्राप्त है। (विवरण की प्रति संलग्न)
2	मलुवा निस्तारण क्षेत्र यदि गैर वन भूमि में ली गई है तो वर्तमान में उल्लेखित 1.192 है0गैर वन भूमि तथा मलुवा निस्तारण हेतु चयनित नापभूमि को जोड़ते हुए अर्थात 1.192+0.2=1.392 है0 को यथानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन करने का कष्ट करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन कर सही सूचना अंकित कर दी गई हैं।
3	बिन्दु संख्या–02 के सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सीए0 हेतु नया क्षेत्र चयनित कर प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके डी0एस0एस0 के उपरान्त सम्पूर्ण क्षेत्र एम0डी0 एफ0 पाया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सीए0 हेतु अन्य क्षेत्र प्रस्तावित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करे।	सी0ए0 हेतु नवीन क्षेत्र चयनित कर पार्ट 01 में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। उक्त के टोपोशीट मैप/जिओ रिफरेन्स मैप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

क्र० सं०	प्रस्तावक विभाग का नाम	योजना का नाम	आवंटित भूमि (है०)	विधि वनभूमि	जनपद	भारत सरकार का पत्रांक व दिनांक	उ०प्र० शासन का पत्रांक व दिनांक	प्रतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त: अवनत वनभूमि (है०)	गैरवानिकी भूमि (है०)	पौध संख्या	शर्त का अनुपालन: अवनत वनभूमि (है०)	गैरवानिकी भूमि (है०)	पौध संख्या	जमा धनराशि
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि० वि०, अस्कोट	स्योपुरी तक पहुँच मार्ग	1.4000	सिविल	पिथौरागढ़	8बी/09/79/94/एफ सी सी/1137, दि० 15-9-94	जी०आई०-542/14-2-94-662/1989 दि० 16-11-94	1.600	—	—		—	—	32,210=00
16	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० डीडीहाट	सानदेव बैण्ड से हिमाली-पतेत मोटर मार्ग	0.0720 2.1600 2.2320	आरक्षित वन पंचा०	—,,—	8बी/09/582/93/FC-C/1521, दि० 23/24-11-95	जी०आई०-531/14-2-9-600(114)/93 दि० 3-1-96	4.4640	—	—		—	—	79,055=00
17	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट	कालिका खुमती पैदल मार्ग का विस्तार	0.7860	सिविल	पिथौरागढ़	8बी०/09/525/93/FCC/468, दि० 13-9-94	जी०आई०-525/14-2-4-600(90)/1993, दि० 16-11-1994	—	—	—	—	—	—	
	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि० वि० पिथौरागढ़	झूनाकोट-जाखपन्त-सिरकुच कटियानी-लद्दैर मोटर मार्ग	4.8000	सिविल	—,,—	8बी/09/397/93/एफ सी सी/1374, दि० 6/18-10-94	जी०आई० 199/14-2-95-600(37)/1993, दि० 19-7-95	9.6000	—	—		—	—	1,54,610=00
	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० लोहाघाट	पंचेश्वर-झूलापुल-शैल पैदल मार्ग	0.5840	सिविल	—,,—	8बी/616/93-FCC/1281 दि० 6/7-9-94	जी०आई०-521/11-2-94-600(45)/93 दि० 14-11-94	1.168				—	—	18,815=00
	—तदैव—	विमतोली-खतेड़ा मोटर मार्ग	0.7400	सिविल	—,,—	8बी/09/1(6173)93/FCC/1287, दि० 6/7-9-94	जी०आई०-522/14-2-94-600(152)/93, दि० 17-11-94	1.4800	—	—		—	—	26,[illegible]
	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० अस्कोट	राँची तक हल्के वाहन मार्ग	3.7500	सिविल	—,,—	8बी/09/711/94/एफ०सी० सी/1429, दि० 9-11-95	जी०आई०-406/14-2-95-600(48)/1994 दि० 3-1-1996	—	5.40	—				145735.00
	—तदैव—	ओगला-औरखेत मार्ग	[illegible]	सिविल व०पं०	—,,—	8बी/09/599/[illegible] 150 [illegible] दि० [illegible]-11-[illegible]	जी० आई०-50/14-2-96-600(129)/[illegible] दि० 2-4-[illegible]							[illegible]